न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 62/2024

जीसीएमएस नम्बर 2024/147

निर्णय दिनांक 16.04.2025

1. दुर्गाराम पुत्र बालूराम जाति मेघवाल निवासी जाखासर मोमासिहावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. रूखमा देवी पत्नि दुर्गाराम जाति मेघवाल निवासी जाखासर मोमासिहावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—वादीगण—

बनाम

1. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार(राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादी—

उपस्थिति:—

1. श्री बाबूलाल सारस्वत अभिभाषक वादीगण।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण निम्न आधारो पर दावा प्रस्तुत करते है कि वादीगण के संयुक्त खातेदारी का एक खेत खसरा नम्बर 92/16 तादादी 4.8500 हैक्टेयर मय गै. मुम्किन 0.1800 हैक्टेयर वाके रोही जाखासर मोमासिहावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं वादीगण का वादगत खेत मे प्रत्येक का 1/2 हिस्सा— 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार स्थित हैं। वादगत खेत पर वादीगण का ही कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा हैं। वादगत खेत के पुराना खसरा नंबर 9 हैं। वादी संख्या 1 का सही नाम दुर्गाराम व वादी संख्या 1 के पिता का सही नाम बालूराम हैं व वादी संख्या 1 के मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड आदि सरकारी दस्तावेजो मे वादी संख्या 1 का नाम दुर्गाराम पुत्र बालूराम दर्ज चला आ रहा हैं। वादी संख्या 1 को अपने परिवार मे, गांव मे व समाज में दुर्गाराम पुत्र बालूराम के नाम से जाना जाता हैं व पहचाना जाता हैं। वादी संख्या 2 का सही नाम रूखमा देवी हैं व वादी संख्या 2 के पति का सही नाम दुर्गाराम हैं वादी संख्या 2 के मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड आदि सरकारी दस्तावेजो मे वादी संख्या 2 का नाम रूखमा देवी पत्नि दुर्गाराम दर्ज चला आ रहा हैं। वादी संख्या 2 के पति को अपने परिवार मे, गांव मे व समाज में दुर्गाराम के नाम से जाना जाता हैं व पहचाना जाता हैं। वादी संख्या 1 का वादगत खेत के राजस्व रिकॉड में भूलवंश दुर्जन पुत्र बालू दर्ज चला आ रहा हैं। राजस्व कर्मचारियो द्वारा भू प्रबंध के समय भूलवंश वादी संख्या 1 का नाम दुर्जन पुत्र बालू दर्ज कर दिया गया जो गलत दर्ज किया गया वादी संख्या 1 का सही नाम दुर्गाराम पुत्र बालूराम हैं। वादी संख्या 2 का वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 का नाम दुर्जन दर्ज होने के कारण वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड मे वादी संख्या 2 के पति का नाम भी दुर्जनराम दर्ज कर दिया गया जो गलत दर्ज किया गया। वादी संख्या 2 के पति का सही नाम दुर्गाराम हैं। वादीगण को वादगत खेत पर माह मार्च 2024 में ऋण लेने की आवश्यकता हुई तो वादीगण ने वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेकर बैंक से सम्पर्क किया तो बैंक अधिकारी ने कहा कि पहले आप वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम शुद्ध करवाकर लाओ तभी वादगत खेत पर आपका ऋण स्वीकृत किया जा सकता हैं अन्यथा बैंक आपको ऋण नही देगी। फिर वादीगण दिनांक 28.03.2024 को तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ से वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 का नाम व वादी संख्या 2 के पति का नाम सही करने हेतू निवेदन किया तो तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ ने कहा कि आप सक्षम् न्यायालय का आदेश लेकर आओ तभी हम आपका वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड में आप वादी संख्या 1 का

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:01 IST
Reason: SelfAttested

म व आप वादी संख्या 2 के पति का नाम सही करेंगें अन्यथा आपका रिकॉर्ड दुरूस्त नही करेंगें
ही दावे का हेतू हैं दावे का आधार वादी का वादगत खेत पर कब्जा काश्त होने से प्राप्त हैं।
वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड मे वादी संख्या 1 का सही नाम दुर्गाराम व वादी संख्या 2 के पति
का सही नाम दुर्गाराम दुरूस्त करवाने के लिये वादीगण के पास घोषणा की डिक्री प्राप्त कर
राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करने के अलावा अन्य कोई चारा नही हैं। वादीगण अनपढ एवं ग्रामीण
परिवेश के व्यक्ति हैं। वादीगण अनपढ़ होने के कारण पूर्व में वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड मे
वादी संख्या 1 का सही नाम दुर्गाराम व वादी संख्या 2 के पति का सही नाम दुर्गाराम दर्ज नही
करवा सके । वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 का सही नाम दुर्गाराम व वादी
संख्या 2 के पति का सही नाम दुर्गाराम दर्ज नही होने के कारण वादीगण अपनी आवश्यकता के
लिये ऋण नही ले पा रहे हैं। वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड का संधारण तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़
द्वारा किया जाता है इसलिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार
बनाया गया हैं तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ का किसी भी प्रकार से हित प्रभावित नही होता. है
तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के विरूद्ध दावा पेश करने के लिये धारा 80 सी. पी.सी का नोटिस दिया
जाना आवश्यक हैं लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 28.03.2024 को रिकॉर्ड दुरूस्ती के सम्बन्ध
में अपने क्षेत्राधिकार से बाहर बताकर सक्षम न्यायालय का आदेश लेने पर ही रिकॉर्ड दुरूस्त करने
के लिये कहा हैं व वादीगण को ऋण लेने की तुरून्त आवश्यकता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को
नोटिस देने में समय लगेगा जिससे वादीगण अपने खातेदारी खेत पर तुरन्त ऋण नहीं ले सकेगा
जिससे वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिये धारा 80 सी.पी.सी के नोटिस के अभाव में दावा
पेश करने के लिये धारा 80 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अलग से पेश कर दावा पेश करने की
अनुमति प्राप्त कर ली गयी हैं । वादी संख्या 1 का नाम व वादी संख्या 2 के पति के नाम सही कर
राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करने से किसी भी प्रकार से किसी को नुकसान नही होगा। वादगत खेत
रोही जाखासर भोमसिंहावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित होने से यह दावा श्रीमानूजी के
श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का हैं जो जानकारी के अन्दरमियाद पूर्ण कोर्ट फीस में पेश हैं। अतः
दावा पेश कर निवेदन हैं कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे–

(क) यह घोषित किया जावे की वादी संख्या 1 का नाम दुर्गाराम हैं व वादी संख्या 2 के पति का नाम दुर्गाराम हैं तदनुसार वादगत खेत खसरा नम्बर 92/16 तादादी 4.8500 हैक्टेयर मय गै. मुम्किन 0.1800 हैक्टेयर वाके रोही जाखासर भोमसिहावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावे ।

(ख) यह कि वादगत खेत खसरा नम्बर 92/16 तादादी 4.8500 हैक्टेयर मय गै. मुम्किन 0.1800 हैक्टेयर वाके रोही जाखासर भोमसिहावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 का सही नाम दुर्गाराम पुत्र बालूराम दर्ज करने का आदेश किया जावे व वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 2 के पति का सही नाम दुर्गाराम दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावे।

(ग) यह कि खर्चा दावा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

(घ) यह कि अन्य कोई अनुतोष हितकर वादीगण हो प्रतिवादी से दिलाया जावे।

वादीगण के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया गया। वादीगण की ओर से साक्ष्यवादी में दुर्गाराम का शपथपत्र पेश किया गया। वादी की ओर से दस्तावेज 1 से 3 व 4ए से 9ए प्रर्दश करवाये गये। PW-1 दुर्गाराम के बयान लेखबद्ध किये गये। जिरह प्रतिवादी शून्य। वादी द्वारा ओर साक्ष्य नही पेश करने [illegible] साक्ष्यवादी बन्द की गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी [illegible] स्वीकार करनें में आपति नहीं होनें व वादीगण वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 92/16 तादादी 4.8500 हैक्टेयर गय गै. मुम्किन 0.1800 हैक्टेयर वाके रोही जाखासर भोमसिहावतान तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 का सही नाम दुर्गाराम पुत्र बालूराम दर्ज करने व वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 2 के पति का सही नाम दुर्गाराम दर्ज कर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.4.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:01 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूंगरगढ़
पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस (R.A.S.)

उनवान

1. दुर्गाराम पुत्र बालूराम जाति मेघवाल निवासी जाखासर मोमासिहावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. रूखमा देवी पत्नि दुर्गाराम जाति मेघवाल निवासी जाखासर मोमासिहावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 62 / 2024
दावा बाबत: घोषणात्मक,रिकार्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांक: 16.04.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसास कताई रूबरू अदालत बहाजरी श्री बाबूलाल सारस्वत अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 92 / 16 तादादी 4.8500 हैक्टेयर मय गै. मुम्किन 0.1800 हैक्टेयर वाके रोही जाखासर मोमसिहावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 का सही नाम दुर्गाराम पुत्र बालूराम दर्ज करने व बादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 2 के पति का सही नाम दुर्गाराम दर्ज कर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 16 माह 04 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प			
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	3. प्लीडर की फीस	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
6.कमिश्नर की फीस	0	5. आदेशिका की तामिल	0
7.आदेशिका की तामिल	0	6. कमिश्नर की फीस	0
	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ